

जाती/समादेश 9-25/12
05/12/2012

S.07
कृषि कार्य केंद्र
S.F.S R1201
Aces

उत्तर प्रदेश शासन
भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग-1
संख्या-745/54-1-12/01(01)/2010
लखनऊ, दिनांक-05 अक्टूबर, 2012

कार्यालय ज्ञाप

कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष, स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.08.2012 को आयोजित स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी की 13वीं बैठक में लिए गये निर्णयानुसार भारत सरकार द्वारा वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए निर्गत समान मार्गदर्शी सिद्धान्त-2008 (संशोधित 2011) में दी गयी व्यवस्था के परिपालन में समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0एम0पी0) के क्षमता निर्माण कार्य में एग्रीकल्चर फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड के अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए क्षमता निर्माण के पैनल में शामिल करने हेतु नामित किया जाता है।

(आनन्द कुमार सिंह)

संख्या-745(1)/54-1-12/01(01)/2010 तददिनांक
3/ संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, 23 सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, पाण्डु नगर, कानपुर।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, (जनपद गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद तथा काशीरामनगर को छोड़कर) उ0प्र0।
4. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, एग्रीकल्चर फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड, धनराज महल, प्रथम तल, सी0एस0एम0 मार्ग, मुम्बई-400001
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
8. समस्त उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आनन्द कुमार सिंह)

3/ संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

S.F.S R1201
Aces
B-2